



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeofrolko@gmail.com

दिनांक: 27/12/16

पत्र संख्या- 8बी/यू.पी./06/54/2016/एफ.सी. /450

सेवा में,

विशेष सचिव (वन),
वन अनुभाग, 6वां तल,
बापु भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Others/15745/2015)

विषय: जनपद सुल्तानपुर में एस्सार ऑयल लि० वाराणसी द्वारा पेट्रोल/डीजल का एक रिटेल आउटलेट श्री अजय कुमार बरनवाल पुत्र श्री श्याम बिहारी बरनवाल निवासी ग्राम- नरवहनपुर पोस्ट दुर्गापुर जिला अमेठी के डीलरशीप में प्रतापगढ़-सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 330 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-96) किमी० 78 (चैनैज 77.013 दांयी पटरी) खसरा प्लाट नं०-250 "अ" ग्राम पकड़ी तहसील सदर जनपद सुल्तानपुर में मार्ग की प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.1516हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु अनुमति का प्रस्ताव।

सन्दर्भ: विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक- 2488/14-2-2016-800(82)/2016, दिनांक- 26.11.2016

महोदय,


उपरोक्त विषय पर विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक- पी-82/14-2-2016-800(82)/2016, दिनांक- 01.06.2016 का आशय ग्रहण करने ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी थी।

प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक- 22.09.2016 द्वारा अतिरिक्त सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद सुल्तानपुर में एस्सार ऑयल लि० वाराणसी द्वारा पेट्रोल/डीजल का एक रिटेल आउटलेट श्री अजय कुमार बरनवाल पुत्र श्री श्याम बिहारी बरनवाल निवासी ग्राम- नरवहनपुर पोस्ट दुर्गापुर जिला अमेठी के डीलरशीप में प्रतापगढ़-सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 330 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-96) किमी० 78 (चैनैज 77.013 दांयी पटरी) खसरा प्लाट नं०-250 "अ" ग्राम पकड़ी तहसील सदर जनपद सुल्तानपुर में मार्ग की प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.1516हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के दुगुने अवनत वनभूमि अर्थात् 0.3032 हे० पर क्षतिपूर्व वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।

2. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।

(ख) इसके उपरान्त online portal के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन०पी०वी०, क्षतिपूर्व वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति विचार किया जाएगा।


27/12/16

- (ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
3. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।
 4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास के बीच की (602.76 वर्गमीटर) भूमि का उपयोग वृक्ष लगाने एवं उसे संरक्षित करने में किया जाएगा एवं इसका सीमांकन 2 फीट ऊंची दीवाल बनाकर किया जाएगा।
 5. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।


उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र-II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक- 02 फरवरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
3. मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0 प्र0।
4. वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, सरयू वृत्त, फैजाबाद, उ0 प्र0।
5. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, सुल्तानपुर, उ0 प्र0।
6. श्री अजय कुमार बरनवाल पुत्र श्री श्याम बिहारी बरनवाल, निवासी-ग्राम नरवहनपुर, पोस्ट-दुर्गापुर, जिला- अमेठी, उ0 प्र0।
7. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
8. आदेश प्रत्रावली


28/12/16
(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}